



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3292]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2017/अग्रहायण 6, 1939

No. 3292]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2017/AGRAHAYANA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

का.आ. 3755(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो श्री एन.के. सिंह, संसद सदस्य एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव, अध्यक्ष के रूप में और निम्नलिखित चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

1.	श्री शक्तिकांत दास, भारत सरकार के पूर्व सचिव	सदस्य
2.	डॉ. अनूप सिंह, सहायक प्रोफेसर, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय	सदस्य
3.	डॉ. अशोक लाहिड़ी, अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंश कालिक) बंधन बैंक	सदस्य (अंश कालिक)
4.	डॉ. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग	सदस्य (अंश कालिक)

2. श्री अरविन्द मेहता आयोग के सचिव होंगे।

3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद धारण करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 अक्टूबर, 2019 तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात्:—

- (i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;

- (ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और
- (iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अद्युपाय।

5. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।

6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ:-

- (i) 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर-भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;
- (ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;
- (iii) राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा;
- (iv) आयोग, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर-न्यायगमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा;
- (v) केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरणों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और
- (vi) उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी।

7. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगा:

- (i) माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;
- (ii) जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;
- (iii) भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सहाय अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;
- (iv) पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;
- (v) कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;
- (vi) संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;

- (vii) आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन।
- (viii) लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और
- (ix) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।
8. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।
9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।
10. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राकृतिक उपलब्ध कराएगा।
11. आयोग 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए 30 अक्टूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

नई दिल्ली

तारीख 27 नवंबर, 2017

ह/-

राम नाथ कोविंद
भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं.10(1)-बी(एस)/2016]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2017

S.O. 3755(E).—The following order made by the President is to be published for general information:—

ORDER

In pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution, read with the provisions of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Shri N.K. Singh, Member of Parliament and former Secretary to the Government of India, as the Chairman and the following four other members, namely:—

1.	Shri Shaktikanta Das, Former Secretary to the Government of India	Member
2.	Dr. Anoop Singh, Adjunct Professor, Georgetown University	Member
3.	Dr. Ashok Lahiri, Chairman (Non-executive, part time) Bandhan Bank	Member (Part time)
4.	Dr. Ramesh Chand, Member, NITI Aayog	Member (Part time)

2. Shri Arvind Mehta shall be the Secretary to the Commission.
3. The Chairman and the other members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office up to the date of submission of Report or 30th day of October, 2019, whichever is earlier.
4. The Commission shall make recommendations as to the following matters, namely:—
- (i) The distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I, Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

- (ii) The principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States by way of grants-in-aid of their revenues under Article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article; and
 - (iii) The measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State.
5. The Commission shall review the current status of the finance, deficit, debt levels, cash balances and fiscal discipline efforts of the Union and the States, and recommend a fiscal consolidation roadmap for sound fiscal management, taking into account the responsibility of the Central Government and State Governments to adhere to appropriate levels of general and consolidated government debt and deficit levels, while fostering higher inclusive growth in the country, guided by the principles of equity, efficiency and transparency. The Commission may also examine whether revenue deficit grants be provided at all.
6. While making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to:
 - (i) The resources of the Central Government and the State Governments for the five years commencing on 1st April 2020 on the basis of the levels of tax and the non-tax revenues likely to be reached by 2024-25. In the context of both tax and non-tax revenues, the Commission will also take into consideration their potential and fiscal capacity;
 - (ii) The demand on the resources of the Central Government particularly on account of defence, internal security, infrastructure, railways, climate change, commitments towards administration of UTs without legislature, and other committed expenditure and liabilities;
 - (iii) The demand on the resources of the State Governments, particularly on account of financing socio-economic development and critical infrastructure, assets maintenance expenditure, balanced regional development and impact of the debt and liabilities of their public utilities;
 - (iv) The impact on the fiscal situation of the Union Government of substantially enhanced tax devolution to States following recommendations of the 14th Finance Commission, coupled with the continuing imperative of the national development programme including New India – 2022;
 - (v) The impact of the GST, including payment of compensation for possible loss of revenues for 5 years, and abolition of a number of cesses, earmarking thereof for compensation and other structural reforms programme, on the finances of Centre and States; and
 - (vi) The conditions that GoI may impose on the States while providing consent under Article 293(3) of the Constitution.
7. The Commission may consider proposing measurable performance-based incentives for States, at the appropriate level of government, in following areas:
 - (i) Efforts made by the States in expansion and deepening of tax net under GST;
 - (ii) Efforts and Progress made in moving towards replacement rate of population growth ;
 - (iii) Achievements in implementation of flagship schemes of Government of India, disaster resilient infrastructure, sustainable development goals, and quality of expenditure;
 - (iv) Progress made in increasing capital expenditure, eliminating losses of power sector, and improving the quality of such expenditure in generating future income streams;
 - (v) Progress made in increasing tax/non-tax revenues, promoting savings by adoption of Direct Benefit Transfers and Public Finance Management System, promoting digital economy and removing layers between the government and the beneficiaries;
 - (vi) Progress made in promoting ease of doing business by effecting related policy and regulatory changes and promoting labour intensive growth;
 - (vii) Provision of grants in aid to local bodies for basic services, including quality human resources, and implementation of performance grant system in improving delivery of services;
 - (viii) Control or lack of it in incurring expenditure on populist measures; and
 - (ix) Progress made in sanitation, solid waste management and bringing in behavioural change to end open defecation.
8. The Commission shall use the population data of 2011 while making its recommendations.

9. The Commission may review the present arrangements on financing Disaster Management initiatives, with reference to the funds constituted under the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), and make appropriate recommendations thereon.

10. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the State wise estimates of receipts and expenditure.

11. The Commission shall make its report available by 30th October, 2019, covering a period of five years commencing 1st April, 2020.

New Delhi

Dated the 27th November, 2017

Sd/-

RAM NATH KOVIND

President of India

[No. 10(1)-B(S)/2016]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy. (Budget)